उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या:35/2015/817/43-1-2015-5(9)/2010
लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर, 2015
कार्यालय- ज्ञाप

श्री देवेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 जो दिनांक 31-10-2015 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये है, के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या: जी0ए0यू0-59915 में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत भुगतान के संदर्भ में उनके खाते की पासबुक में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर दिनांक 30-10-2015 तक कुल जमा धनराशि रूपये 7,49,873/- (रूपये सात लाख उन्चास हजार आठ सौ तिहत्तर मात्र) के 90 प्रतिशत अर्थात रूपये 6,74,885/- (रूपये छ:लाख चौहत्तर हजार आठ सौ पच्चासी मात्र) का अन्तिम भुगतान किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त धनराशि श्री देवेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या: जी0ए0यू0-59915 में दी गयी प्रविष्टियों के आधार पर उपलब्ध अवशेष रूपये 7,49,873/- (रूपये सात लाख उन्चास हजार आठ सौ तिहत्तर मात्र) का 90 प्रतिशत रूपये 6,74,885/- (रूपये छ:लाख चौहत्तर हजार आठ सौ पच्चासी मात्र) है जो 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या:35/2015/817(1)/43-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्षित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को श्री देवेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या: जी0ए0यू0-59915 में उक्त 90प्रतिशत का भुगतान रूपये 6,74,885/- (रूपये छ:लाख चौहत्तर हजार आठ सौ पच्चासी मात्र) का समायोजन अपने आलेख्य में कर शेष 10 प्रतिशत की धनराशि का अन्तिम भुगतान करने हेतु प्राधिकार पत्र शीघ्र जारी करने का कष्ट करें ।
2- कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ ।
3- अनुभाग अधिकारी, लेखा, प्रशासनिक सुधार विभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
4- श्री देवेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 सचिवालय, निवासी म0नं0-342/88क, नौबस्ता, निकट रामलीला पार्क, लखनऊ-226003 (मो0न0-9454411531)
5- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
लुटावन राम
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in